

प्रेषक,

पंजीकृत

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव

ए.सी.एम.टी. कालेज

एन०एच०-२, रूपसपुर

शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 1339 / 5149-52 / 2014-15 दिनांक: 25-02-15

विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रहित दिनांक 24.02.2015 के संदर्भ में एन०सी०टी०ई० नियमावली 2014 के अनुसार प्रबन्धक के शपथ पत्र के प्रति निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01. श्री दीपक अग्रवाल

02. श्री नरेश कुमार

03. सुश्री पूजा कुमारी

04. सुश्री मंजू यादव (पिछड़ी जाति)

05. श्री अशोक कुमार

06. श्री संजय कुमार सकसैना

07. श्री कुलविन्दर सिंह (अनुसूचित जाति)

08. श्री देवेन्द्री (पिछड़ी जाति)

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

प्रवक्ता शिक्षा का आधार/परिप्रेक्ष्य

प्रवक्ता विज्ञान

प्रवक्ता समाज विज्ञान/मानविकी

प्रवक्ता गणित

प्रवक्ता भाषा

प्रवक्ता कला

प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर, सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- / / 2014-15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि- II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।

3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फिरोजाबाद।

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।